

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

प्रकरण क्रमांक 25/2016 सत्रवाद

संस्थित दिनांक 18.01.2016

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
मालनपुर जिला भिण्ड म०प्र०।

-----अभियोजन

बनाम

दीपू दुबे पुत्र रोशनलाल दुबे, उम्र 30 वर्ष।

निवासी- आदर्श विद्यालय के पीछे गणेशपुरा

मुरैना म०प्र०

-----आरोपी

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री गोपेश गर्ग
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र०क०. 339/2015 इ०फौ०
से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क्र० 25/2016

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्त द्वारा श्री के०सी० उपाध्याय अधिवक्ता।

//निर्णय //

आज दिनांक 23-02-2017 को घोषित किया गया।

01. आरोपी का विचारण धारा 294, 326, 506 भाग-2 भा०दं०वि० के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उस पर आरोप है कि दिनांक 30.04.2015 को साढ़े पांच बजे सुबह नरवरिया मार्केट सब्जीमण्डी के बाहर मालनपुर में फरियादी शिवशंकर तिवारी को सार्वजनिक स्थान व उसके निकट अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया। उस पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आहत शिवशंकर तिवारी को धारार हथियार चाकू से मारपीट कर स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की एवं फरियादी को संत्राश कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राश कारित किया।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 30.04.15 को फरियादी शिवशंकर सुबह साढ़े पांच बजे नरवरिया मार्केट मालनपुर स्थिति सब्जीमण्डी की दुकान के बाहर नहा रहा था। उसी समय उसके साढ़ू का लडका दीपू दुबे निवासी आदर्श विद्यालय के पीछे गणेशपुरा मुरैना का आया और आते ही मादरचोद बहनचोद की अश्लील गालियाँ देने लगा, उसके द्वारा पूछने पर आरोपी बोला कि वह बहुत बड़ा आदमी हो गया है आज तुझे बताता हूँ तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा और जेब से चाकू निकालकर उसे मारा जो उसके दाएं हाथ में कंधे के नीचे लगा चोट होकर खून बहने लगा। वह चिल्लाया तो उसका लडका अर्जुन तिवारी जो वर्तन की दुकान किए है आ गया और उसकी पत्नी राधा तिवारी भी आ गई जिन्होंने उसे बचाया व घटना देखी। आरोपी जाते समय कह रहा था कि आज तो बच गया है आइंदा जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी के द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट अपने पुत्र अर्जुन के साथ उसी दिन पुलिस थाना मालनपुर में दर्ज कराई जो कि अप.क्र. 58/15 धारा 324, 294, 506बी भा.द.वि का पंजीबद्ध किया गया। आहत का मेडीकल परीक्षण कराया गया एवं एक्सरे परीक्षण भी करवाया गया। घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिटि उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

03. विचारित किए जा रहे आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 326, 506 भाग-2 भा0दं0वि0 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया किया है।

05. आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या आरोपी के द्वारा दिनांक 30.04.2015 को साढ़े पांच बजे सुबह नरवरिया मार्केट सब्जीमण्डी के बाहर मालनपुर में आहत शिवशंकर तिवारी को धारादार हथियार चाकू से मारपीट कर गंभीर उपहति कारित की?
2. क्या उक्त गंभीर उपहति आरोपी के द्वारा फरियादी को स्वेच्छया कार्य करते हुए पहुँचाई गई?

3. क्या आरोपी के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर फरियादी शिवशंकर तिवारी को सार्वजनिक स्थान व उसके निकट अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?
4. क्या आरोपी के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर फरियादी को संत्राश कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राश कारित किया।

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 1, 2 :-

06. डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 1 जिन्होंने कि दिनांक 30.04.2015 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद पर पदस्थ दौरान आहत/फरियादी शिवशंकर का मेडीकल परीक्षण किया है। उनके द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि आहत शिवशंकर के परीक्षण में उनके द्वारा निम्न चोटें पाई थी— (1) आहत की दाईं भुजा के ऊपरी भाग में 6 गुणा 0.5 गुणा 0.2 से.मी. का कटा हुआ घाँव था जिसके लिए एक्सरे की सलाह दी थी। (2) आहत के सीने में दाईं तरफ 1.2 गुणा 0.1 गुणा 0.1 से.मी. एवं 0.6 गुणा 0.1 एवं 0.4 गुणा 0.1 गुणा 0.1 से.मी. तथा 0.6 गुणा 0.1 से.मी. के ऊपरी कटे हुए घाँव थे जो कि सभी घाँव तिरछे आकार में थे। आहत को आई उक्त चोटें धारदार वस्तु से आना संभावित थी जो कि परीक्षण के 6 घण्टे के भीतर की थी, मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 1 है जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के द्वारा आगे यह भी बताया गया है कि दिनांक 01.05.2015 को उनके द्वारा उक्त आहत का एक्सरे परीक्षण किया था जो कि उसकी दाईं भुजा में पुरानी जुड़ी हुई हड्डी पाई थी। एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी. 2 है और एक्सरे प्लेट आर्टीकल ए1 है।

07. इस प्रकार डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 1 के कथन से स्पष्ट है कि घटना के पश्चात् आहत शिवशंकर को उपरोक्त बताई गई चोटें पाई गई थी। अब विचारण यह हो जाता है कि— क्या आहत को उपरोक्त बताई गई चोटें आरोपी के द्वारा पहुँचाई गई? क्या आरोपी के द्वारा पहुँचाई गई चोटों के कारण आहत को गंभीर उपहति कारित हुई? क्या आहत को उक्त चोट स्वेच्छया कार्य कर आरोपी के द्वारा पहुँचाई गई?

08. घटना के फरियादी/आहत शिवशंकर अ0सा0 2 ने अपने साक्ष्य कथन में आरोपी को पहचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि वह उसके सादू का लडका है। दिनांक 30 अप्रैल 2015 के सुबह 05:30 बजे के समय की बात है वह अपनी दुकान जो कि नरवरिया

मार्केट मालनपुर में स्थित है उसके बाहर नहा रहा था तो आरोपी आकर माँ बहन की गालियाँ देने लगा और यह कहने लगा कि बड़ा आदमी हो गया है और आज तुझे बताता हूँ और तेरी ऐसी तेसी करता हूँ। इसके बाद आरोपी ने जेब से चाकू निकालकर मारा जो उसके दाँए हाथ के कंधे में लगा खून निकल आया। उसके चिल्लाने पर उसका पुत्र और उसकी पत्नी राधा आ गई और उनके द्वारा उसे बचाया गया। आरोपी जाते समय गाली गलोज करते हुए जान से खत्म करने की धमकी दे रहा था। उपरोक्त घटना की रिपोर्ट उसने अपने लडके अर्जुन के साथ जाकर थाना मालनपुर में लिखाई थी जो प्र.पी. 3 है जिसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उसका मेडीकल परीक्षण कराया गया था और एक्सरे भी हुआ था। घटना के पश्चात् पुलिस घटनास्थल पर आई थी और घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 4 बनाया था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

09. अभियोजन प्रकरण के संबंध में साक्षिया राधा तिवारी अ0सा0 3 आरोपी की पहचानना स्वीकार करते हुए कि आरोपी उसकी बहन का लडका है, यह बताई है कि मालनपुर सब्जीमण्डी में उसे लडके अर्जुन की किराने की दुकान है, वह वहीं पर रुकी हुई थी। सुबह 05:30 बजे का समय था उसका पति दुकान पर नहा रहा था, आरोपी दीपू ने आकर उसके पति को चाकू मारा था जो कि उनकी दाँई वाह के कंधे के नीचे लगा था और खून निकल आया था, उसमें टांके लगे थे। आरोपी मारने की धमकी भी दे रहा था। पति के चिल्लाने पर वह और उसका लडका मौके पर पहुँच गए थे।

10. इस बिन्दु पर साक्षी अर्जुन तिवारी अ0सा0 4 के द्वारा भी यह बताया गया है कि घटना दिनांक को वह मालनपुर नरवरिया मार्केट स्थित अपनी दुकान पर सो रहा था। उसे पिता के चिल्लाने की आवजा सुनाई दी, आवाज सुनकर उसने अपनी माँ को जगाया फिर घटनास्थल पर पहुँचा। उसने देखा कि आरोपी उसके पिता को मालकर 08-10 फिट की दूरी पर भाग रहा था और भागते हुए धमकी दे और गालियाँ भी दे रहा था। उसने देखा तो उसके पिता के दाँए कंधे में घाव था और खून निकल रहा था। उसके पिता ने बताया कि दीपू दुवे ने चाकू मारा है। थाना मालनपुर पर पिता को रिपोर्ट कराने साथ में गया था, फिर वहाँ से पुलिस उसके पिता को गोहद अस्पताल लाई थी।

11. प्रधान आरक्षक रमेशसिंह अ0सा0 6 के जिन्होंने कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की है के द्वारा बताया गया है कि दिनांक 30.04.2015 को फरियादी शिवशंकर अपने लडके के साथ आया और उसने आरोपी दीपू के द्वारा उसे माँ बहन की अश्लील गालियाँ देने और चाकू निकालकर मारने के संबंध में रिपोर्ट लिखाई थी जो उसके बताए अनुसार लेखबद्ध की थी। रिपोर्ट लेखबद्ध करते समय धारा 294, 324, 506बी भा.द.वि के तहत

अपराध पंजीबद्ध किया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 3 है जिस पर बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। प्र0आर0 भानुप्रताप सिंह अ0सा0 5 जिन्होंने कि प्रकरण की विवेचना की है। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 4 बनाया जाना, फरियादी के कथन तथा साक्षिया राधा, अर्जुन के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध करना बताया है और दिनांक 06.06.2015 को आरोपी दीपू दुवे को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 5 तैयार करना भी उनके द्वारा बताया गया है।

12. बचाव पक्ष के द्वारा यह आधार लिया गया है कि आरोपी को रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष के द्वारा बचाव में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

13. घटना के फरियादी/रिपोर्टकर्ता शिवशंकर के प्रतिपरीक्षण उपरांत कथनों का जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि उसकी पत्नी और बच्चा मालनपुर में जो दुकान है उसमें कमरा बना हुआ है उसमें रहते हैं और इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपी दीपू उसकी पत्नी के साथ मालनपुर में ही रहता था। साक्षी ने यह भी बताया है कि दीपू अलग कमरा लेकर मालनपुर में रहता था। घटना के समय वह दुकान के बाहर नहा रहा था। वह आम रोड पर नहीं नहा रहा था, बल्कि दुकान के पास जो सेड है उसमें नहा रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे घटनास्थल से 4-5 दुकान की दूरी पर थे। घटना सुबह 05:30 बजे की है। घटना के पूर्व आरोपी से कोई रंजिश, लड़ाई झगडा या मनु मुटाव नहीं था। साक्षी को बचाव पक्ष के द्वारा पूछे जाने पर कि आरोपी ने घटना दिनांक को उसे गाली क्यों दी थी साक्षी के द्वारा बताया गया है कि वह आज नहीं बता सकता है। साक्षी के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आरोपी चाकू मारकर भाग गया था। कंडिका 8 में साक्षी बताया है कि चाकू सब्जी काटने वाला था। घटना में उसे एक ही चोट आना साक्षी बता रहा है। घटनास्थल पर आस पड़ोस के लोग नहीं आए थे। साक्षी ने स्वतः कहा है कि सुबह 05:30 बजे का समय था इसलिए कोई नहीं आया था। उसकी पत्नी और बच्चे आवाज देने पर तत्काल घटनास्थल पर आ गए थे। साक्षी कंडिका 8 में यह बताया है कि वह चाकू लगने के कारण अस्पताल में भर्ती नहीं रहा और स्वतः में उसके द्वारा बताया गया है कि उसका इलाज घर पर ही चला रहा, उसे इलाज के लिए चोट पर कोई प्लास्टर नहीं चढ़ा था, केवल टॉके लगे थे। उसे घटना में जो चोट आना बता रहा है वह 10-15 दिन में ठीक हो गई थी। साक्षी के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि उसका घटना के पहले एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट में उसे चोटें आई थी और दोनों हाथों में फ्रेक्चर आया था और प्लास्टर चढ़ा था। यद्यपि साक्षी 20-25 साल पहले एक्सीडेंट होना बता रहा है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि धारदार वस्तु पर गिरने से उसे स्वतः चोट आई थी और इस सुझाव से इन्कार किया है

कि आरोपी के पिता से विवाद रहने के कारण उसे अपराध में झूठा फंसाया गया है।

14. फरियादी/आहत शिवशंकर तिवारी अ0सा0 2 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में आरोपी के द्वारा चाकू से उसके दाएं हाथ के कंधे पर मारना जो कि दाएं हाथ के कंधे में लगने के संबंध में बताया है। इस संबंध में उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष शर्ट उतारकर चोट भी दिखाई गई जो कि उसके दाएं हाथ के कंधे के नीचे चोट का निशान दिखने के संबंध में नोट लगाया गया है। घटना दिनांक को आरोपी के घटनास्थल पर आने एवं फरियादी को चाकू से चोट पहुँचाई जाने के बिन्दु पर फरियादी शिवशंकर के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई भी तात्त्विक प्रकार का विरोधाभास, बिसंगति अथवा लोप आना दर्शित नहीं होता है। साक्षी के द्वारा स्पष्ट रूप से घटना के समय आरोपी के घटनास्थल पर आने के संबंध में अपने प्रतिपरीक्षण में भी वस्तुस्थिति स्पष्ट की है और उसे चाकू से चोट पहुँचाना बताया है। फरियादी के द्वारा आरोपी को किसी रंजिश के कारण या अन्य किन्हीं कारणों से झूठा लिप्त किया जा रहा हो ऐसा भी मानने का कोई आधार नहीं है। आरोपी जो कि फरियादी का रिस्तेदार भी है उसको वह झूठा लिप्त करने में कोई हितबद्ध हो ऐसा कहीं भी साक्ष्य में नहीं आया है। ऐसी दशा में घटना दिनांक को आरोपी के घटना के समय घटनास्थल पर आना और उसके द्वारा फरियादी को चाकू से मारकर उपहति कारित करने के संबंध में फरियादी का कथन अखण्डनीय होकर विश्वास योग्य पाया जाता है।

15. घटना दिनांक को आरोपी के द्वारा फरियादी शिवशंकर को चाकू मारकर उसे उपहति कारित करने की पुष्टि साक्षिया राधा तिवारी अ0सा0 3 जो कि आहता की पत्नी है और अर्जुन अ0सा0 4 जो कि आहत का पुत्र है के कथनों के आधार पर भी होती है। उक्त दोनों ही साक्षीगण घटना के दौरान फरियादी के चिल्लाने पर उसकी आवाज सुनकर घटना स्थल पर आ गए थे। यद्यपि उक्त साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में आए हुए कथनों से यह स्पष्ट है कि उक्त दोनों साक्षीगण घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं एवं उन्होंने आरोपी को फरियादी के चाकू मारते हुए नहीं देखा गया है, किन्तु उक्त साक्षीगण घटनास्थल पर घटना के तुरन्त पश्चात् आ गए थे और उन्होंने आहत शिवशंकर के कंधे में चोट होकर खून बहते हुए देखा था और फरियादी के द्वारा उन्हें यह बताया गया है कि आरोपी दीपू दुवे के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। इस प्रकार उक्त साक्षीगण के कथनों से आरोपी के द्वारा फरियादी की चाकू से मारपीट करने के संबंध में पुष्टि होती है। उक्त साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके कथनों में इस बिन्दु पर कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है। साक्षीगण के द्वारा आरोपी के विरुद्ध किसी रंजिश के कारण कथन किया जा रहा हो या उन्हें झूठा लिप्त किया जा रहा हो ऐसा भी कहीं दर्शित नहीं होता है।

16. अभियोजन प्रकरण एवं घटनाक्रम की सम्पुष्टि घटना के तुरन्त पश्चात् दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में भी होती है जो कि घटना घटित होने के तुरन्त पश्चात् बिना किसी बिलम्ब के थाना मालनपुर में दर्ज कराई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आरोपी के घटनास्थल पर आने और फरियादी को चाकू मारकर चोट पहुँचाई जाने के संबंध में उल्लेख आया है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 3 फरियादी शिवशंकर अ0सा0 2 के द्वारा प्रमाणित किया गया है और उक्त रिपोर्ट को रिपोर्ट लेखक प्र0आर0 रमेशसिंह अ0सा0 6 के द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। इस प्रकार घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के तुरन्त पश्चात् बिना किसी बिलम्ब के थाना मालनपुर में दर्ज कराई गई है जो कि इस संबंध में एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है और इस आधार पर भी अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि होनी पाई जाती है।

17. आहत शिवशंकर को धारदार हथियार से चोट ओन की पुष्टि चिकित्सक डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 1 के कथनों से भी होती है, जिन्होंने कि आहत को दाईं भुजा के ऊपरी भाग में 6 गुणा 0.5 गुणा 0.2 से.मी. का घाँव होना बताया है और सीने के दाईं तरफ भी कटे हुए घाँव होने का उल्लेख किया है। इस संबंध में यद्यपि दूसरी चोट के संबंध में फरियादी के द्वारा अपने कथन में नहीं बताया गया है, किन्तु उसकी दाईं भुजा पर कटी हुई चोट जिसका कि निशान स्वयं न्यायालय के द्वारा भी देखा गया है मौजूद होना स्पष्ट होता है। बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा आहत की चोट उसे किसी पेंनी धारदार वस्तु पर गिरने से आना के संबंध में सुझाव दिया गया है जो कि चिकित्सक के द्वारा उसे स्वीकार किया गया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि चिकित्सक के द्वारा इस संभावना को स्वीकार किया गया है जबकि प्रकरण में कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि आहत किसी धारदार वस्तु पर गिरा हो। उक्त संभावना के आधार पर आहत की चोट गिरने से आने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

18. आहत शिवशंकर को आई चोट की प्रकृति का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में बचाव पक्ष अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह व्यक्त किया कि फरियादी के द्वारा कहीं भी अपने साक्ष्य कथन में कोई बात नहीं बताई है। इस संबंध में आहत का मेडीकल परीक्षण एवं एक्सरे करने वाले चिकित्सक डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 1 के द्वारा भी आहत का एक्सरे परीक्षण जो कि घटना के दूसरे दिन अर्थात् दिनांक 01.05.2015 को किया गया है, उसमें आहत के दाईं भुजा में पुरानी जुड़ी हुई हड्डी पाई जाना बताया है। उनके द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि चिकित्सक के द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि दाईं भुजा में जो भरा हुआ फ्रेक्चर होना रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है वह एक साल से अधिक पुराना हो सकता है

और अस्थिभंग के संबंध में इस बात का उल्लेख है कि वह ओल्डहील फ्रेक्चर है।

19. बचाव पक्ष अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क पर विचार किया गया और इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी के द्वारा कहीं भी अपने साक्ष्य कथन में उसे आरोपी के द्वारा पहुँचाई गई चोट के कारण अस्थिभंग होने के संबंध में मुख्य परीक्षण में नहीं बताया है और यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं फरियादी प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि इलाज में उसे प्लास्टर आदि नहीं चढ़ा था, केवल टांके लगे थे और इस बात का पता न होना बताया है कि डॉक्टर ने उसे कहा था कि चोट में फ्रेक्चर नहीं है और कुछ दिन में घाँव भर जाएगा। निश्चित तौर से यदि घटना में पहुँचाई गई चोटों के कारण कोई फ्रेक्चर आहत को हुआ होता इस बारे में स्पष्ट रूप से साक्षी बता सकता था और चिकित्सक के द्वारा उसे इस बारे में बताया गया होगा, किन्तु इस बारे में कोई पता न होना साक्षी अभिकथित कर रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसे घटना के पहले एक्सीडेंट में चोट आई थी जो कि उसके दोनों हाथों में आई थी और फ्रेक्चर आया हुआ था, जिसमें प्लास्टर चढ़ा था। आहत शिवशंकर को पुराना फ्रेक्चर होना की बात उसकी पत्नी राधा तिवारी अ0सा0 3 एवं पुत्र अर्जुन तिवारी अ0सा0 4 के द्वारा भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है। निश्चित तौर से जबकि चिकित्सक के द्वारा घटना जिसमें कि आहत को घटना में पहुँचाई गई चोट के दूसरे दिन एक्सरे परीक्षण किया गया है उसमें आहत को ओल्ड हील्ड अर्थात् पुराना भरा हुआ फ्रेक्चर होने का उल्लेख है किसी आदमी के अस्थिभंग का घटना के तुरन्त पश्चात् जुड़ जाए ऐसा संभव भी नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में आहत को घटना में कोई अस्थिभंग होने का तथ्य प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

20. बचाव पक्ष अधिवक्ता ने अपने तर्क में आगे मुख्य रूप से यह व्यक्त किया गया है कि घटना के संबंध में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियोजन साक्षी एक ही परिवार के हैं। आरोपी के द्वारा फरियादी को मारने हेतु कोई हेतुक होना भी कहीं प्रमाणित नहीं है। आरोपी को घटना में झूठा लिप्त किया गया है।

21. जहाँ तक फरियादी और अन्य साक्षियों के एक ही परिवार के होने और स्वतंत्र साक्षी न होने का प्रश्न है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि घटना सुबह 05:30 बजे की होनी बताई गई है और सुबह 05:30 बजे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि घटनास्थल पर अन्य कोई व्यक्ति आकर घटना को देखे। घटनास्थल पर साक्षी राधा तिवारी और अर्जुन तिवारी आना बताया गया है वह भी फरियादी के चिल्लाने की आवाज सुनकर ही घटनास्थल पर आए होना उनके द्वारा बताया गया है। ऐसी दशा में घटना के संबंध में कोई स्वतंत्र साक्षी न होने के आधार पर कोई विपरीत निष्कर्ष अभियोजन प्रकरण के संबंध में नहीं निकाला जा

सकता है। मात्र इस आधार पर कि फरियादी और दोनों साक्षीगण राधा अ0सा0 3 व अर्जुन अ0सा0 4 एक ही परिवार के हैं यह भी सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण को अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं है। मात्र इस आधार पर कि फरियादी के द्वारा आरोपी से पूर्व की कोई रंजिश आदि होने की बात को इन्कार किया है आरोपी को झूठा लिप्त किये जाने का आधार नहीं हो सकता है। आरोपी को घटना में झूठा लिप्त किया जाने के संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार आरोपी को प्रकरण में झूठा लिप्त किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।

22. घटना में आरोपी के द्वारा फरियादी को मारपीट कर उपहति कारित करने का तथ्य साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित है। उक्त मारपीट की घटना फरियादी के द्वारा आरोपी को किसी प्रकार से अचानक प्रकोपित करने के फलस्वरूप हुई हो ऐसा भी प्रकरण में कोई प्रमाण नहीं है। प्रकरण में आई हुई सम्पूर्ण साक्ष्य एवं प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों में आरोपी के द्वारा फरियादी को धारदार हथियार से मारपीट कर उपहति कारित किये जाने का तथ्य प्रमाणित होता है। यद्यपि आरोपी के द्वारा फरियादी शिवशंकर को धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित करने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

बिन्दु क्रमांक 03 :-

23. धारा 294 भा.दं.वि के अपराध के संबंध में सार्वजनिक स्थान या उसके निकट अश्लील शब्द जो कि क्षोभ कारक हो उच्चारित किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में सर्वप्रथम घटनास्थल का सार्वजनिक होने का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में फरियादी शिवशंकर नरवरिया के द्वारा नरवरिया मार्केट में स्थित अपनी दुकान के बाहर नहाना बताया है। प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वह आम रोड पर नहीं नहा रहा था जबकि दुकान के बाद जो शेड बना है उसमें नहा रहा था। प्रकार फरियादी अपनी दुकान के बगल में जो शेड बना है उसमें नहा रहा था। किसी की दुकान के बगल में बना हुआ कोई शेड सार्वजनिक स्थान होना नहीं माना जा सकता है।

24. इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि जिसमें कि फरियादी आरोपी के द्वारा उसे अश्लील गाली गलोज करना बता रहा है उस समय घटनास्थल पर अन्य कोई व्यक्ति मौजूद हो और उनके द्वारा उक्त अश्लील शब्द सुने गए हो ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है।

25. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जबकि घटनास्थल सार्वजनिक स्थान/लोकस्थान की श्रेणी में नहीं है और किसी अन्य के द्वारा अश्लील शब्द सुने गए हो ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है।

इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध धारा 294 भा0द0वि0 का आरोप सिद्ध होना नहीं माना जा सकता है। अतः उक्त आरोप से आरोपी को दोषमुक्त किया जाता है।

बिन्दु कमांक 4:-

26. धारा 506 भाग-2 के अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति को संत्राश कारित करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी दी जानी आवश्यक तत्व है। धारा 506 भा.दं.वि. के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए धमकी वास्तविक होनी चाहिए तथा उसका आशय संत्राश कारित करने का होना चाहिए। जैसा कि इस संबंध में **लक्ष्मण वि0 म.प्र. राज्य 1989 जबलपुर लॉ जनरल 653** में अवधारित किया गया है।

27. वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, फरियादी शिवशंकर अ0सा0 2 के द्वारा यह बताया गया है कि आरोपी जाते समय उसे गाली देते हुए कह रहा था कि "तुम बहुत बड़ रहे हो आइंदा जान से खत्म कर देंगे।" इस बिन्दु पर साक्षी राधा तिवारी अ0सा0 3 तथा अर्जुन तिवारी अ0सा0 4 भी आरोपी के द्वारा जान से मारने की धमकी देने की बात बता रहा है, किन्तु उक्त दोनों साक्षी घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे बाद में आए थे, जैसा कि उक्त साक्षीगण के साक्ष्य से स्पष्ट है।

28. यह उल्लेखनीय है कि घटना के तुरन्त पश्चात् एक घण्टे के अंदर घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मालनपुर में की गई है। आरोपी के द्वारा जो धमकी फरियादी देना बता रहा है वह वास्तविक थी या इससे फरियादी किसी प्रकार से भयभीत हुआ हो ऐसा भी प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है।

29. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई समग्र साक्ष्य से यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि घटना दिनांक समय व स्थान पर आरोपी के द्वारा फरियादी शिवशंकर को धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई। यद्यपि आरोपी के द्वारा मारपीट करने से फरियादी शिवशंकर को गंभीर उपहति कारित होना प्रमाणित नहीं है। आरोपी के द्वारा फरियादी को सार्वजनिक स्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित करना एवं फरियादी को संत्राश कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राश कारित किया जाना भी प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

30. तदनुसार आरोपी दीपू दुवे को आरोपित धारा 326 भा.द.वि के स्थान पर धारा

324 भा.द.वि. के आरोप का दोषी पाया जाता है, जबकि आरोपी को आरोपित अन्य धारा 294, 506 भाग-2 भा.द.वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

31. आरोपी दीपू दवु के संबंध में दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया गया।

(डी.सी.थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद,
जिला भिण्ड (म.प्र.)

पुनश्चयः—

32. दण्ड के प्रश्न पर आरोपी के विद्वान अभिभाषक एवं राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक को सुना गया। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने आरोपी के द्वारा किए गए कृत्य एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए विधि द्वारा विहित अधिकतम दण्ड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया है। आरोपी के विद्वान अभिभाषक ने व्यक्त किया कि आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित प्रथम अपराध है और आरोपी नव युवक है। ऐसी दशा में दण्ड के प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने एवं बैकल्पिक रूप से न्यूनतम दण्ड से दंडित किये जाने का निवेदन किया है।

33. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध फरियादी को धारदार हथियार से मारपीट कर उपहति कारित किये जाने का अपराध में दोषसिद्ध होनी पाई गई है। आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित अपराध की प्रकृति एवं तथ्यों, परिस्थितियों में आरोपी को आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं है।

34. आरोपी को दिए जा रहे दण्ड का जहाँ तक प्रश्न है, निश्चित तौर से दण्ड अपराध के अनुपात में होना चाहिए। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, आरोपी के विरुद्ध प्रकरण में धारा धारा 326 भा.द.वि के स्थान पर धारा 324 भा0दं0वि0 का अपराध प्रमाणित होना पाया गया। आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित अपराध एवं अपराध की प्रकृति व घटना के तथ्यों परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को धारा 324 भा0दं0वि0 के आरोप में 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने आ आदेश दिया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगताए जाने का आदेश दिया जाता है।

35. अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर 1200/- रूपए प्रतिकर स्वरूप आहत शिवशंकर को दिलाया जाए।

36. आरोपी के द्वारा प्रकरण की जाँच, अनुसंधान, विचारण के दौरान बिताई गई न्यायिक निरोध की अवधि उनकी मूल सजा में मुजरा की जाए। इस संबंध में धारा 428 दं.प्र. सं. का प्रमाणपत्र प्रथक से संलग्न किया जाए। अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला-भिण्ड, (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)